



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

९ वैशाख १९४२ (३०)

(सं० पटना २६१) पटना, बुधवार, २९ अप्रील २०२०

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

३० मार्च २०२०

सं० ५ न०वि०/वि-४१/२०२०-१४२९/न०वि०एवंआ०वि०—कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण उत्पन्न विषम परिस्थिति तथा संक्रमण को रोकने हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित लॉक डाउन के फलस्वरूप राज्य के नगरपालिका क्षेत्र के नागरिकों द्वारा होलिडंग टैक्स ससमय जमा करना समय नहीं रह गया है।

2. अतएव विचारोपरान्त उपर्युक्त वर्णित विशेष स्थिति में बिहार नगरपालिका सम्पति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 के नियम १२ के तहत ३१.०३.२०२० से ३०.०४.२०२० तक सम्पति कर का विलम्ब से भुगतान के फलस्वरूप उक्त अवधि के लिए सम्पति कर पर ब्याज की राशि के भुगतान से छूट दिया जाता है।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कुमार देवेन्द्र प्रौज्ज्वल,
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) २६१-५७१+१०-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>